



विस्तार कार्य हेतु द्वितीय ई-निविदा सूचना

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के क्षेत्रान्तर्गत संचालित बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना अन्तर्गत दुग्ध समितियों में विस्तार कार्य हेतु वाहन मालिकों से वर्ष 2015 या उसके बाद के टैक्सी परमिट में पंजीकृत बुलौरो वाहन के लिये दिनांक 01.08.2019 से 31.07.2020 के लिये (कार्य संतोषप्रद होने की दशा में एक वर्ष ओर बढ़ाया जा सकता है) ई-निविदायें आमंत्रित की जानी है। निविदा प्रपत्र **www. mptenders.gov.in** से राशि रु. 200/- ऑन लाइन भुगतान कर कर सकते हैं।

निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभूति राशि रु. 2000/- (रु. दो हजार मात्र) नगद या डी.डी. जो ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ के नाम पर देय हो संलग्न करना अनिवार्य है। ऑन लाइन निविदा **www. mptenders.gov.in** पर दिनांक 18.07.2019 को अपरान्ह 2:00 बजे तक स्वीकार किये जायेगे। निविदा संबंधी विस्तृत विवरण एम.पी.सी.डी.एफ. भोपाल की वेब साइट **www.mpcdf.gov.in** पर देखी जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

गवालियर सहकारी दुग्ध संघ
मर्यादित गवालियर

विस्तार कार्य हेतु
निविदा प्रपत्र

निविदा खोलने का स्थान, दिनांक एवं समय

स्थान	दिनांक	समय
गोला का मंदिर, गवालियर	19.07.19	3.00 बजे

मूल्य रुपये 200/-

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

विस्तार कार्य हेतु ठेका की शर्तें

- (1) निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर यह समझा जावेगा कि उनके द्वारा विस्तार कार्य हेतु दी गई विभिन्न सूचनाओं एवं अन्य शर्तों आदि का भली-भांति अध्ययन कर लिया गया है एवं विस्तार कार्य हेतु निर्धारित मार्ग की जानकारी से स्वयं को अवगत करा लिया गया है ।
- (2) किसी साझेदारी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी सदस्यों के अलग-अलग हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये अथवा किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से उस व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये जो ऐसा करने के लिये विधि अनुसार अधिकृत है। ऐसा करने के लिये उस फर्म को पंजीकृत होना चाहिये तथा उससे संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है ।
- (3) ग्वालियर दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों एवं उनके निकटस्थ रिश्तेदारों को निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी ।
- (4) निविदाकर्ता का वाहन उसके नाम एवं टैक्सी परमिट पंजीकृत होना चाहिये निविदा के साथ वाहन के पंजीकरण के कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि वाहन निविदाकर्ता के नाम पंजीकृत नहीं है तो निविदाकार की निविदा अमान्य की जा सकेगी ।
- (5) निविदा कार का स्वयं का वाहन होना आवश्यक होगा तथा उसके पंजीयन की छाया प्रति, निविदा के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करना होगी अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी । निविदा के साथ निविदाकार को अपनी स्वयं की पहचान एवं पत्र व्यवहार का पता, फोन / मोबाइल नम्बर साथ में संलग्न करना अनिवार्य होगा । सील बन्द लिफाफे के ऊपर निविदाकार का नाम, पूर्ण पता एवं विस्तार कार्य हेतु निविदा अंकित की जावे ।
- (6) निविदा दिनांक को वाहन चार वर्ष से अधिक पुराने मॉडल का होने पर निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।
- (7) निविदा प्रस्तुत करने के लिये रूपये 2000/- अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) के रूप में निविदा कार को संघ कार्यालय में **नगद/डिमाण्ड ड्राफट** द्वारा जमा करने होंगे, जिसकी पावती का विवरण निविदा प्रपत्र में अंकित करना होगा । अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । निविदाकार द्वारा जमा अमानत राशि पर संघ द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा । निविदा स्वीकृति नहीं होने पर अमानत राशि/अर्नेस्ट मनी की पूरी राशि निविदाकार को तीन माह के अन्दर वापिस कर दी जावेगी । इस हेतु निविदाकर्ता को लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा अमानत राशि की पावती साथ में संलग्न करना होगी ।

- (8) एक से अधिक निविदाकारों की दरें न्यूनतम एक समान प्राप्त होने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी । विकल्प में /अथवा एक से अधिक निविदाकारों की दरें समान प्राप्त होने पर निविदाकारों के वाहन का मॉडल एवं गुणवत्ता के आधार पर निर्णय लिया जावेगा जिसमें प्रबन्धन का निर्णय अन्तिम होगा ।
- (9) निविदा स्वीकृत होने की सूचना मिलते ही निर्धारित समयावधि के अन्दर ठेकेदार को अपना वाहन प्रस्तुत करना होगा । निर्धारित अवधि में वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी ।
- (10) निविदा स्वीकृत होने के पश्चात कार्यादेश दिये जाने के एक सप्ताह के अन्दर वाहन ठेकेदार को रुपये 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर दुग्ध संघ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करना अनिवार्य होगा । ऐसा न करने पर उनके देयकों का भुगतान लंबित रखा जावेगा ।
- (11) वाहन प्रथमतः 31.07.2020 तक की अवधि के लिये अनुबंधित किया जावेगा एवं वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन का संचालन अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार करने एवं कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में ठेके की अवधि एक-एक कर तीन वर्ष के लिये और बढ़ाई जा सकेगी ।
- (12) विगत पाँच वर्षों की अवधि में काली सूची में पंजीबद्ध ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।
- (13) न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता से आवश्यकतानुसार दर निगोशियेशन किया जा सकेगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर विस्तार कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

1— निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु.200 /—(दो सौ रुपये मात्र) नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
2— निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि	बोलेरो वाहन हेतु निविदा के साथ रु.2,000 /— (दो हजार मात्र) डीडी/नगद जमा रसीद” ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ग्वालियर “पेयबलएट ग्वालियर के नाम देय हो।
3— निविदा खोलने का स्थान	गोला का मंदिर
4— धरोहर राशि (EMD)	“ लिफाफा ”A“
5— विस्तार कार्य हेतु “तकनीकी अर्हताएँ” का प्रारूप एवं सामान्य शर्तें	लिफाफा ”B“
6— भावपत्र / दरें प्रस्तुत करने का प्रारूप	लिफाफा ”C“

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि –

- धरोहर राशि (EMD) का डी.डी./नगद जमा रसीद भौतिक रूप से एक अलग लिफाफा में रखें ,जिस पर लिफाफा ”A“ लिखा जावे ।
- लिफाफा ”B“ “तकनीकी अर्हताएँ”
- लिफाफा ”C“ जिसमें भावपत्र / दरें संलग्न की जावें ।
- उक्त तीनों ”A“, ”B“ एवं ”C“ के बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर कार्यालय में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जमा करें । पहले ‘तकनीकी अर्हताएँ’ का लिफाफा खोला जावेगा । तकनीकी अर्हताएँ में सफल निविदाकर्ताओं का ही भावपत्र / दरें का लिफाफा खोला जावेगा ।
- निविदा प्रपत्र क्रमांक 2 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी ।

नोट— सभी निविदाकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे धरोहर राशि (ई.एम.डी.) का डी.डी./नगद की जमा रसीद भौतिक रूप से निविदा के साथ संलग्न करें ।

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ,ग्वालियर

लिफाफा—"A"

1— धरोहर राशि :—

- राशि (अंकों में) रूपये :———————
- राशि (शब्दों में) रूपये :———————
- रसीदक्रमांक / ड्राफ्टक्रमांकः एवं दिनांक———————

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम———————

मोबाइल नम्बर———————

**गवालियर सहकारी दुर्गम संघ मर्यादित ,गवालियर
निविदा प्रस्तुत करने संबंधी प्रपत्र
तकनीकी अर्हतायें प्रपत्र—01**

लिफाफा—“B”

2— निविदाकार का विवरण :-

- निविदाकार का नाम /जिसके नाम से वाहन पंजीकृत है। _____
- पिता का नाम :_____
- स्थाईपता _____
- पत्र व्यवहार का पता :_____
- दूरभाष क्रमांक :_____
- आयकर पान नम्बर _____

3— वाहन का विवरण

- वाहन का प्रकार _____
- वाहन का माडल वर्ष _____
- पंजीयन क्रमांक _____
- बीमा क्रमांक _____

नोट :- क्रमांक 02 एवं 03 से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें तथा जिसके नाम से वाहन पंजीकृत है, उसका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी आवेदन पत्र पर चस्पा किया जाना अनिवार्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम _____
मोबाइल नम्बर _____

गवालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ,गवालियर

लिफाफा—“C”

प्रपत्र—03

4— प्रस्तावित निविदा दर प्रति कि.मी./प्रति लीटर :—

- रूपये(अकों में) _____
- रूपये(शब्दों में) _____

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम_____

मोबाइल नम्बर_____

॥ अनुबन्ध पत्र ॥

यह अनुबन्ध पत्र ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर जिसका कि पंजीकृत कार्यालय गोला का मंदिर, रेसीडेन्सी रोड, ग्वालियर है (एतद पश्चात संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा) तथा संघ के अधिकृत प्रतिनिधि अधिहस्तांतरित निष्पादकगण, प्रशासकगण तथा उत्तराधिकारीगण जब तक कि कोई विपरीत आशय न हो अनुबन्ध के प्रथम पक्ष के रूप में सम्मिलित समझे जावेंगे तथा श्री————— पुत्र श्री—————निवासी—————(जिसे एतद पश्चात वाहन ठेकदार के नाम से सम्बोधित किया जावेगा) तथा उसके व्यावसायिक उत्तराधिकारीगण स्वीकृत अधिहस्तांतरित एवं कानूनी उत्तराधिकारीगण जब तक कि कोई विपरीत आशय न हो अनुबन्ध के द्वितीय पक्ष के रूप में वाहन ठेकेदार सम्मिलित समझे जावेंगे । दोनों अभय पक्षों के मध्य दिनांकको ग्वालियर में स्वेच्छा से सम्पादित किया गया जो प्रमाण रहे और समय पर काम आवे । यह कि, अनुबन्ध के पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार शर्तों (जिन्हें ठेके की शर्त कहा जावेगा) के अधीन कार्य करना तय पाया गया है ।

- 1-अ) यह कि, संघ के द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना, विस्तार कार्य हेतु दर, आमंत्रण सूचना पर द्वितीय पक्ष द्वारा उनके वाहन बुलैरो पंजीयन क्रमांक को दतिया में विस्तार कार्य के लिए प्रस्तुत निविदा, विस्तार कार्य हेतु आवेदन को प्रथम पक्ष द्वारा निगोशियेशन आदि के उपरान्त जारी किये गये आदेश क्रमांक --- दिनांक -----द्वारा दर रूपये-----प्रति किलोमीटर पर दिनांक-----से-----तक की अवधि के लिये स्वीकार किया गया है ।
- ब) वाहन संचालन अवधि में प्रथम पक्षकार का व्यवहार एवं कार्य उत्तम पाया जाता है एवं प्रथम पक्षकार द्वारा वाहन संचालन हेतु आवेदन/सहमति दी जाती है तो ऐसी स्थिति में समान दर एवं अनुबंध की शर्तों के अनुरूप निविदा अवधि को एक-एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त वृद्धि दो वर्ष तक बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा ।
- (2) वाहन ठेकेदार को रूपये 100.00 (रूपये एक सौ मात्र) का भुगतान कर संघ का नाम मात्र का सदस्य बनना अनिवार्य होगा एवं इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा नाम मात्र सदस्य बनने के बाद ठेकेदार को संघ के किसी कार्य में हस्तक्षेप करने अथवा मतदान करने का अधिकार नहीं होगा, यह राशि वापसी योग्य नहीं होगी ।
- (3) वाहन ठेकेदार द्वारा निविदा के साथ जमा की गई ई0एम0डी0 राशि, रु. 2000/- प्रतिभूति राशि के रूप में जमा रहेगी , ऐसी जमा राशि पर संघ द्वारा कोई ब्याज आदि नहीं दिया जावेगा ।
- (4) वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंध (ठेका) अवधि समाप्त होने के पूर्व वाहन बंद कर लिये जाने की स्थिति में ठेकेदार तथा उसके वाहन को "काली सूची" में दर्ज किया जाकर पाँच वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जावेगा तथा उसके समस्त लंबित देयकों एवं प्रतिभूति राशि को संघ द्वारा राजसात कर लिया जावेगा । परन्तु अनुबंधित वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में जबकि वाहन पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया हो, इस शर्त को विवेक के आधार पर शिथिल किया जा सकेगा ।

- (5) वाहन के मार्ग में पड़ने वाले टोल टैक्स नाकों एवं मार्ग के अन्य करां का भुगतान ठेकेदार को ही वहन करना होगा ।
- (6) वाहन ठेकेदार द्वारा विस्तार कार्य हेतु संघ द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकृत मोटर वाहन ही उपयोग में लाना होगा । साधारणतः ठेकेदार बिना संघ की अनुमति के अनुबंधित वाहन नहीं बदल सकता, वाहन खराब होने की स्थिति में केवल एक दिन के लिये बिना अनुमति के वाहन बदला जा सकेगा, परन्तु इसके अतिरिक्त यदि वाहन की मरम्मत में एक से अधिक दिन का समय लगता है, तो संघ की लिखित अनुमति से ही उस अवधि के लिये दूसरा वाहन चलाया जा सकता है ।
- (7) वाहन ठेकेदार/वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा आपराधिक कार्यों में सन्निहित होने की सूचना मिलने की स्थिति में, यह ठेका अपने आप समाप्त समझा जावेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी । ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबन्ध को निरस्त कर दें । अनुबन्ध निरस्त होने की दशा में संघ को जो भी हानि होगी उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । यदि वसूली योग्य राशि ठेकेदार को संघ में जमा राशि से अधिक होती है तो वह रकम ठेकेदार से भू-राजस्व के रूप में वसूल की जावेगी ।
- (8) सामान्यतः अनुबंध अवधि में विस्तार वाहनों को स्वीकृत दरों में कोई वृद्धि नहीं की जावेगी परन्तु शासन द्वारा डीजल, ऑयल (पी. आ० एल.) की दरों में कमी/वृद्धि किये जाने की स्थिति में, दरों में आनुपातिक कमी/वृद्धि पर विचार किया जा सकेगा । इस बाबत् मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जो भी निर्णय लिया जावेगा, वह ठेकेदार को मान्य होगा । डीजल दरों में कमी/वृद्धि की गणना कम्पनियों द्वारा निर्धारित माइलेज के आधार पर निम्नानुसार की जावेगी—
- | | | |
|---------|----------------|------------------|
| क्रमांक | वाहन का प्रकार | माइलेज प्रतिलीटर |
| 1— | बोलैरौ | 15 |

- (9) श्रम कानून, मोटर व्हीकल एक्ट एवं अन्य प्रावधानों के अंतर्गत मोटर वाहन एवं उसके कर्मचारियों से संबंधित सभी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
- (10) ठेका अवधि में यदि ठेकेदार का कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो ऐसी दशा में ठेका निरस्त कर दिया जावेगा व ठेकेदार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति एवं प्रस्तुत देयकों की राशि राजसात कर ली जावेगी ।
- (11) ठेकेदार को प्रतिमाह देयकों का भुगतान किया जावेगा, इस संबंध में ठेकेदार को अगले माह की 05 तारीख तक दो प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । इसके पश्चात् प्रस्तुत देयकों पर कार्यवाही अगले देयक के साथ की जावेगी । निर्धारित अवधि में देयक प्रस्तुत किये जाने पर साधारणतः उनका भुगतान प्रस्तुती दिनांक से 15 दिन के अन्दर किया जावेगा ।

- (12) अनुबन्ध निष्पादित करने के पश्चात् 30 दिनों के अंदर ठेकेदार को, वाहन की कॉप्रिहेन्सिव बीमा पॉलिसी सत्यापन हेतु संघ कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें वाहन के साथ उसमें चलने वाले कर्मचारियों का बीमा कवर किया जावेगा । इस हेतु प्रीमियम ठेकेदार द्वारा ही देय होगा ।
- (13) वाहन ठेकेदार को आयकर का स्थाई खाता नम्बर (पैन) कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा । प्रत्येक देयक पर पैन नम्बर अंकित करना आवश्यक है, अन्यथा 20 % की दर से आयकर का कटोत्तरा किया जावेगा ।
- (14) वाहन में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में जो भी श्रम कानून लागू हों उनके पालन की समस्त जिम्मेदारी वाहन मालिक /ठेकेदार की रहेगी तथा उन कर्मचारियों का ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ से कोई सम्बन्ध नहीं माना जावेगा ।
- (15) यह कि, मुख्य कार्यपालन अधिकारी से तात्पर्य इस कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी से होगा, चाहे भविष्य में यह पद किसी भी नाम से जाना जावे ।
- (16) अनुबंध पत्र की शर्तों में संशोधन /नई शर्तें जोड़ने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ, ग्वालियर के पास सुरक्षित रहेगा ।
- (17) अनुबंधित वाहन में ड्रायवर के अलावा ठेकेदार का अन्य कोई व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकेगा तथा ड्रायवर के पास वैद्य ड्रायविंग लायसेन्स होना अनिवार्य होगा । चालक के वैद्य लायसेन्स, वाहन का पंजीयन, टैक्सी परमिट, फिटनेस, रोड टेक्स आदि की फोटो कापियां अनुबंध के साथ संघ के महाप्रबंधक(क्षेत्रसंचालन)को मूल दस्तावेजों से प्रमाणित कराकर जमा करना चाहिये ।
- (18) अनुबंधित वाहन में जो अधिकारी/ कर्मचारी यात्रा करेगा उससे शुरू एवं अन्त में किलोमीटर रीडिंग/ लॉगबुक पर हस्ताक्षर लेना अनिवार्य होगा ।
- (19) डीजल आदि की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, इस हेतु किसी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जावेगा ।
- (20) सक्षम अधिकारी द्वारा जिस समय वाहन बुलाया जावेगा उसी समय वाहन उपलब्ध कराना होगा ।
- (21) वाहन हमेशा अच्छी हालत में रखना होगा ।
- (22) वाहन को नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की कच्चे एवं पक्के मार्गों में जाना अनिवार्य होगा ।
- (23) वाहन को प्रतिदिन समय पर अथवा अधिकारी द्वारा बतायें गये समय पर कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।
- (24) नियत समय से 10 मिनट पश्चात अथवा आधे घण्टे तक अगर वाहन उपस्थित नहीं होता है तो रु. 50/- का जुर्माना भुगतना होगा । नियत समय से आधे घण्टे से अधिक विलम्ब होने पर उस दिन कार्यालय द्वारा वाहन उपयोग में नहीं लाया जावेगा एवं ठेकेदार को रु. 125/- का जुर्माना भुगतना होगा ।
- (25) प्रतिमाह वाहन कम से कम 2000 कि.मी. चलाया जावेगा ।
- (26) यदि अनुबंधित वाहन रास्ते में खराब होने की बजह से उस दिन का निर्धारित दौरा पूर्ण नहीं करता है तो उस दिन चली दूरी का भुगतान संघ द्वारा नहीं किया जावेगा ।

- (27) मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा ।
- (28) यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ तो, उसे मध्यस्थता (Arbitration) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी , (Arbitrator) ग्वालियर दुग्ध संघ, ग्वालियर के समक्ष रखा जावेगा । जिनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बंधनकारी एवं मान्य होगा ।
- (29) मैं अपना वारिस श्री/श्रीमती/कुमारी.....संबंध.....
उम्रको पूर्ण होश हवास में नामांकित घोषित करता/करती हूँ। मेरी पूर्ण अपंगता/मृत्यु में श्री /श्रीमती /कुमारी.....को संघ से व्यवहार करने हेतु अधिकृत करता/करती हूँ।
- (30) मैं /श्री..... द्वितीय पक्षकार ने उक्त अनुबंध शर्तों का अवलोकन भलीभांति एवं पूर्ण होशोहवास में कर लिया है तथा मुझे निविदा एवं अनुबंध की समस्त शर्त मान्य है । निम्न साक्षियों के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध करता हूँ।

दिनांक –

साक्षी

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार

पिता/पति का नाम

पता

दूरभाष

1

2

3

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

(सील सहित)